

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

रिपोर्ट पटवारी अजुनगढ ..... भू.अ. निरीक्षक बागोलिया ..... तहसील रायपुर  
 महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम अजुनगढ पंच. बागोलिया में जमाबंदी संवत् 2075 नं० 2078 में  
 खाता सं. 19 में दर्ज खातेदार जगदीश रामरतन पुत्र अम्बालाल के नाम पर स्टेट बैंक  
 ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर का रकम दर्ज है। जबकि उक्त बैंक शाखा S.B.B.I. कान्चीन  
 नाम करण करके स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया (S.B.I.) कर दिया गया है।  
 अतः ग्राम अजुनगढ पंच. बागोलिया की जमाबंदी संवत् 2075 नं० 2078 में खाता सं.  
 19 में दर्ज खातेदार जगदीश रामरतन पुत्र अम्बालाल का नाम के हिस्से पर दर्ज रकम S.B.B.I.  
 स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर के बजाय स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया (S.B.I.)  
 दर्ज किया जाना उचित है।

*(Handwritten signature)*  
 10/11/2021

रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बागोलिया व जाँच भू.अ.नि. वृत्त रायपुर के  
 आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।

10.11.21 रायपुर  
 तहसीलदार रायपुर  
 जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 क्रमांक:-प्र.गां.के सं./केम्प/2021/ 111/24 (2021/301) दिनांक:- 10.11.2021

--:आदेश :-

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जाँच रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत  
 दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम अजुनगढ जमाबंदी संवत् 2064-65  
 खाता संख्या 915 स्वयं/शामलाती खाते में  
 खातेदार/सहखातेदार जगदीश रामरतन पुत्र अम्बालाल हिस्से 1/12 (अंश)  
 राशि - स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर  
 के नाम अंकित है जिसके बजाय जगदीश रामरतन पुत्र अम्बालाल हिस्से 1/12  
 राशि SBI शाखा - रायपुर  
 शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे वास्ते तहसीलदार  
 रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



*(Handwritten signature)*  
 10.11.2021



उपखण्ड अधिकारी  
 रायपुर भीलवाड़ा